IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ.4( )पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 जयपुर,दिनांकः 05-4-2017

1. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद,
   समस्त, राजस्थान ।

विषय :– दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की अवधि में पट्टा/भू–खण्ड आवंटन अभियान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में 14 अप्रैल, 2017 डा0 भीमराव अम्बेडकर जयन्ती से 12 जुलाई, 2017 तक 90 दिवस का एक विशेष अभियान चलाया जाकर, पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भू–खण्ड आवंटित किये जायेंगे ।

इस अभियान के सम्बन्ध में प्रारम्भिक तौर पर दिशा–निर्देश विभागीय पत्रांक एफ. 4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/253 जयपुर, दिनांक 28.03.2017 के द्वारा पूर्व में समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भिजवाये जा चुके हैं । उपरोक्त अभियान दिनांक 14 अप्रैल, 2017 (शुक्रवार) को प्रत्येक पंचायत समिति की चयनित एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित कर आरम्भ किया जायेगा तथा इस दिवस के पश्चात आगामी सप्ताह से **प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार** को प्रत्येक पंचायत समिति की एक ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किये जायेंगे, **सोमवार अथवा गुरूवार को राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में शिविर अगले कार्यदिवस को आयोजित किये जायेंगे** । इस प्रकार से अभियान अवधि में उक्त दिवसों में एक–एक ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित किये जायेंगे । कतिपय पंचायत समितियों में यह स्थिति भी हो सकती है कि उपरोक्त दिवसों में केवल

एक शिविर आयोजित करने से उक्त अभियान अवधि में वहां की समस्त ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित नहीं हो पायें । अतः ऐसी स्थिति में सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी से चर्चा उपरान्त कुछ दिवसों में दो--दो शिविर भी आयोजित करना सुनिश्चित कर लें । इस प्रकार से निर्धारित शिविरों का पंचायत समितिवार कलेण्डर सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ही तय किया जाकर, यह कलेण्डर आवश्यक रूप से तीन दिवस की अवधि में पंचायती राज विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

उक्तानुसार निर्धारित किये गये शिविरों के आयोजन का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो सकें ।

इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा आवंटन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जाये, ताकि अभियान के दौरान पट्टे आवंटित करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े । अतः आपसे अनुरोध है कि आप अविलम्ब निम्नानुसार बिन्दुओं में वर्णित निर्देशों की पालना हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें:–

1. इस अभियान का अविलम्ब प्रचार–प्रसार कर, आमजन से वांछित आवेदन–पत्र आदि शिविर आरम्भ होने की तिथि से पूर्व ही प्राप्त कर, उनके निस्तारण हेतु की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही इस प्रकार से सम्पन्न करना सुनिश्चित करें कि शिविर आयोजन के दिन सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा वितरित किया जा सके ।

2. ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज संबंधित ग्राम पंचायत के नाम दर्ज किया जाये । ज़िला कलेक्टर से यह भी अपेक्षा है कि जिन ग्राम पंचायतों के पास आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध सिवाय चक, राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तित करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जाये । जिन पंचायत क्षेत्रों में राजकीय भूमि के रूप में केवल चारागाह भूमि ही उपलब्ध है, वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाये ।